कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ प्र0 लखनऊ।

परिपत्रांक सी– 26 /अधि0–1/अंश प्रमाणपत्र / दिनॉक लखनऊ जून 10 2015

1– समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0

2– समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
जिला सहकारी बैंक लि0, उ0प्र0

विषय:– जिला सहकारी बैंक की सदस्य समितियों को अंश प्रमाण पत्र निर्गत कराने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा–22 एवं उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम संख्या–65 के प्राविधानानुसार निर्धारित सीमा के अर्न्तगत पैक्स द्वारा सम्बन्धित जिला सहकारी बैंकों से अंश क्रय किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है।

ऐसा संज्ञान में आया है कि जिला सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स को उनके द्वारा क्रय किये गये अंश के मूल्य के बराबर धनराशि का अंश प्रमाण पत्र उन्हें निर्गत नहीं किया गया है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक एवं विधि विरुद्ध है।

जैसा कि आप अवगत है कि उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ द्वारा जिला सहकारी बैंकों के लिए वर्ष 1989 में निर्गत मैनुअल, भाग–2 में समितियों द्वारा अंश क्रय करने के फलस्वरूप उन्हें अंश प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रारूप एवं उसके सम्बन्ध में वांछित अभिलेख अद्यतन रखने विषयक प्रारूप मैनुअल के पृष्ठ 7–12 पर दिया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता हैं कि अपने जनपद की पैक्स द्वारा जिला सहकारी बैंकों से क्रय किये गये अंशपूंजी की धनराशि का अभिलेखों से परीक्षण कराकर, पुष्टि करके तथा जितनी धनराशि का अंश प्रमाण पत्र जारी न हुआ हो उसे प्रत्येक दशा में एक माह के भीतर निर्गत कराकर पैक्स को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। जिन जनपदों में जिला सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स को अंश प्रमाण पत्र अभी तक जारी ही नहीं किया गया है, उनका चिन्हांकन करते हुए तत्काल वांछित कार्यवाही की जाय, साथ ही अंश प्रमाण पत्र जारी करने की प्रगति रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(शैलेश कृष्ण)
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ

परिपत्रांकः सी– /अधि0–1/अंश प्रमाणपत्र /दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ
2– संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0
3– समस्त पैक्स सचिव, उ0प्र0 द्वारा सहायक आयुक्तय एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0
लखनऊ